

कार्यालय:- महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़।


विज्ञप्ति

शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत हमारी निम्नलिखित शिक्षुओं को चयन करने की योजना है चयनित शिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यकाल एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा।

क्र०सं०	टेंड का नाम	शिक्षुओं की सं०
1	डीजल मकैनिक	4
2	फिटर	2
3	वैल्डर	1
4	पैंटर	1
5	विद्युतकार	1
6	एम०एम०वी	1

इच्छुक प्रशिक्षुओं के चयन के लिए कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़ औद्योगिक क्षेत्र प्लाट न० 182/16 फेस-1 चण्डीगढ़ में दिनांक 10.10.2017 को सुबह 11:00 बजे साक्षात्कार लिया जाएगा।

इच्छुक प्रशिक्षु उम्मीदवारों के लिए ncvtmis.gov.in/apprenticeship.gov.in पर रजिस्ट्रेशन दिनांक 09.10.2017 को 15:00 बजे तक होना अनिवार्य है। साक्षात्कार के समय इच्छुक योग्य उम्मीदवारों के पास आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उपरोक्त वर्णित पोटल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।


महाप्रबन्धक
हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़।
19/9/17